न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राज0)

पीठासीन अधिकारीः श्री रोहिताश्व सिंह तोमर (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 32/2024

बउनवान

सहायक अभियन्ता जल संसाधन विभाग नोनेरा परियोजना — अपीलांट

बनाम

1. वन विभाग जर्ये उप वन संरक्षक महोदय, बारां
2. तहसीलदार अन्ता तहसील अन्ता जिला बारां (राज०) — रेस्पोडेन्ट

अपील बनाराजगी इंतकाल न० 423 दिनांक 24.05.2024 स्वीकृत दिनांक 29.05.2024 तहसीलदार अन्ता अपील अंतर्गत धारा 75 एल.आर. एक्ट

उपस्थितः 1. श्री चन्द्रप्रकाश मीणा अभिभाषक (अपीलांट)
2. पेरोकार सरकार (रेस्पो. कम 2)

निर्णय दिनांक 17.01.2025

अपीलांट की ओर से जर्ये अभिभाषक प्रस्तुत अपील संक्षेप में इस प्रकार है कि इस विभाग के विज्ञप्ति क्रमांक 05/भूअ/ज.स./2021/2382–85 दिनाक 27.01.2021 से कालीसिन्ध नदी पर नोनेरा बैराज के डूब क्षेत्र में आने वाली तहसील अन्ता के ग्राम–तिखोद के खसरा नम्बर 56/6.00 में से–4.10. खन.57/4.70 में से 2.42. हैक्टेयर की अवाप्ति हेतु भूमि अर्जन अधिनियम– 2013 की धारा–11 व 12 की विज्ञप्ति जारी की गयी थी। तथा धारा–19 उद्घोषणा का सार्वजनिक प्रयोजनार्थ का प्रकाश राज. के. राज–पत्र में दिनांक 23/06/2021 को हुआ। आराजी वाके माल तिखोद तहसील अन्ता की वर्तमान खाता सं. 154 खसरा नम्बर 555/56 रकबा 207, 557/57 रकबा 2.42 सहित किता 11 रकबा 52.69 हैक्टेयर भूमि वन विभाग अन्ता के खाते दर्ज है। उक्त विवादित आराजी का नामान्तरण जिला कलेक्टर बारां के आदेश क्रमांक (एफ–4) राजस्व/21/5669–77 दिनांक 24.12.21 की पालना में पूर्व से वन विभाग हेतु आरक्षित भूमि में से ख.न. 56 की रकबा 3.93 हैक्टेयर व ख.न. 57 रकबा –2.28 हैक्टेयर भूमि अनारक्षित करते हुये शेष भूमि वन विभाग बारां के नाम दर्ज किया गया है। उक्त विवादित आराजी डूब क्षेत्र में आ जाने के कारण राजस्थान सरकार के गजट नोटिफिकेशन क्रमांक भू अ/नवनेरा/2022/439/20.06.2022 द्वारा जल संसाधन विभाग नोनेरा परियोजना के नाम खोले जाने का प्रकाशन हुआ है। गजट में ग्राम तिखोद के खसरा नम्बर 56 की 4.10 हैक्टेयर तथा खसरा नम्बर–57 की 2.28 हेक्टेयर भूमि डूब क्षेत्र में ली गयी है। मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड खसरा नम्बर 56 का मूल रकबा –6.00 हैक्टेयर, ख.न.57 रकबा 4.70 हैक्टेयर है। उक्त विवादित आराजी का नामान्तरण जल संसाधन विभाग नोनेरा परियोजना के नाम दर्ज किया जाना है। ग्राम तिखोद में खसरा नम्बर 56 डूब क्षेत्र आयी भूमि 4.10 हैक्टेयर के बदले 3.93 है. व खसरा नम्बर 57 डूब क्षेत्र में आयी 2.42 हेक्टेयर के बदले 2.28 हेक्टेयर भूमि ही सिवायचक खाते में उपलब्ध है। इस प्रकार खसरा नम्बर 56 में 0.17 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 57 में 0.14 हैक्टेयर कम है। यह भूमि वन विभाग के खाते दर्ज खसरा नम्बर 555/56 रकबा 2.07 व खसरा नम्बर 557/57 रकबा 2.42 हैक्टेयर में स्थित है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर ग्राम तिखोद का नामान्तकरण क्रमांक 423 दिनांक 24.05.2024 को निरस्त फरमाया जाकर विवादित आराजी खसरा नम्बर 555/56 रकबा 2.07 हैक्टेयर में से 0.17 हैक्टेयर, व खसरा नम्बर 557/57 रकबा 2.42 हेक्टेयर मे से 0.14 हैक्टेयर भूमि सिवाय चक दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान करें।

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोंडेंट को जर्ये सूचना तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब किया गया। रेस्पो. कम 1 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर उसके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई। अभिलेख प्राप्त होने पर हमने एकपक्षीय बहस विद्वान अभिभाषक अपीलांट की सुनी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rohitashva Singh Tomar
Date: 2025.03.17 10:28:20 IST
Reason: SelfAttested

दौराने बहस अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि आराजी वाके माल तिखोद तहसील अन्ता की वर्तमान खाता सं. 154 खसरा नम्बर 555/56 रकबा 2.07, 557/57 रकबा –2.42 सहित किता 11 रकबा 52.69 हैक्टेयर भूमि वन विभाग अन्ता के खाते दर्ज है। अपीलाधीन नामान्तकरण कार्यालय जिला कलक्टर, बारां के आदेश क्रमांक (एफ–4) राजस्व/21/5669–77 दिनांक 24.12.21 की पालना में खोला जाकर वन विभाग हेतु आरक्षित दर्ज कर दी गई। उक्त आराजी डूब क्षेत्र में आ जाने के कारण राजस्थान सरकार के गजट नोटिफिकेशन क्रमांक भू अ/नवनेरा/2022/439/20.06.2022 द्वारा जल संसाधन विभाग नोनेरा परियोजना के नाम खोले जाने का प्रकाशन हुआ है। गजट में ग्राम तिखोद के खसरा नम्बर 56 की 4.10 हैक्टेयर तथा खसरा नम्बर–57 की 2.28 हेक्टेयर भूमि डूब क्षेत्र में ली गयी है। मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड खसरा नम्बर 56 का मूल रकबा –6.00 हैक्टेयर, ख.न.57 रकबा 4.70 हैक्टेयर है। उक्त विवादित आराजी का नामान्तरण जल संसाधन विभाग नोनेरा परियोजना के नाम दर्ज किया जाना है। ग्राम तिखोद में खसरा नम्बर 56 डूब क्षेत्र में आयी भूमि 4.10 हैक्टेयर के बदले 3.93 है. व खसरा नम्बर 57 डूब क्षेत्र में आयी 2.42 हेक्टेयर के बदले 2.28 हेक्टेयर भूमि ही सिवायचक खाते में उपलब्ध है। इस प्रकार खसरा नम्बर 56 में 0.17 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 57 में 0.14 हैक्टेयर कम है। यह भूमि वस्तुतः वन विभाग के खाते दर्ज खसरा नम्बर 555/56 रकबा 2.07 व खसरा नम्बर 557/57 रकबा 2.42 हैक्टेयर में स्थित है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर ग्राम तिखोद का नामान्तकरण क्रमांक–423 दिनांक–24.05.2024 को निरस्त फरमाया जाकर विवादित आराजी खसरा नम्बर 555/56 रकबा 2.07 हैक्टेयर मे से 0.17 हैक्येटर, व खसरा नम्बर 557/57 रकबा 2.42 हेक्टेयर मे से 0.14 हैक्टेयर भूमि सिवाय चक दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान करे।

हमने एकपक्षीय बहस अभिभाषक अपीलांट पर मनन किया। सम्पूर्ण पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। रिकार्ड के अवलोकन से पाया गया कि ग्राम तीखोद व पाटोन्दा की वन विभाग हेतु जिला कलक्टर, बारां के आदेश क्रमांक एफ 4(7)(3) राजस्व/01/6029–38 दिनांक 07 जुलाई 2008 से आरक्षित भूमि 286.50 है. में से आदेश क्रमांक 5669–77 दिनांक 24.12.2021 से 44.545 है. भूमि वापस अनारक्षित की गई है। शेष भूमि 241.955 है. भूमि वन विभाग के नाम अंकित होना पाया जाता है। अपीलांट द्वारा अपील में उक्त भूमि को सिवायचक करने की प्रार्थना की है जो पूर्णरूपेण स्वीकार किया जाना सम्भव प्रतीत नहीं होती है।

उपरोक्त विवेचन अनुसार अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाकर निर्देश दिये जाते हैं कि नियमानुसार वन विभाग के खाते में अंकित भूमि में से जो भूमि अवाप्ति में आ रही है उसके एवज में अन्य भूमि प्रस्तावित कर अवाप्ताधीन कम पड़ रही भूमि का आवंटन निरस्तीकरण की कार्यवाही के प्रस्ताव वन विभाग की सहमति से नियमानुसार पृथक से कार्यालय जिला कलक्टर, बारां में पेश करें।

निर्णय आज दिनांक 17.01.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रोहिताश्व सिंह तोमर)
जिला कलक्टर,बारां

जिला कलक्टर
बारां (राज०)

कार्यालय जिला कलेक्टर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rohitashva Singh Tomar
Date: 2025.03.17 10:28:20 IST
Reason: SelfAttested